भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *302
दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 / 26 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

तटीय पुलिस का प्रशिक्षण

***302. श्री दिलीप शइकीयाः**

श्रीमती कमलेश जांगड़ेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तटीय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में तटीय पुलिस के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तटीय पुलिस को आधुनिक बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *302, दिनांक 17.12.2024

<u>दिनांक 17.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *302 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।</u>

(क) और (ख): सरकार द्वारा तटीय पुलिस के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भारत सरकार ने जिला देवभूमि द्वारका, गुजरात में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी (एनएसीपी) की स्थापना की है। आज तक, इस अकादमी में तटीय पुलिस/सीमा शुल्क/ बीएसएफ/सीआईएसएफ के 1,725 कार्मिकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ii) तटीय पुलिस कार्मिकों को तटीय रक्षा प्रशिक्षण केंद्र, कोच्चि में और सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तटीय रक्षा जिला मुख्यालयों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आज तक, 13,879 तटीय पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(iii) भारतीय तटरक्षक (आईसीजी), तटीय पुलिस के साथ संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी) लगाता है। अगस्त, 2020 में जेसीपी की शुरूआत के बाद से 8,122 कार्मिकों के आरोहण के साथ कुल 3,374 जेसीपी सोर्टी का संचालन किया जा चुका है।

(iv) आईसीजी द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच' और तटीय सुरक्षा ड्रिल 'सजग' आयोजित किए जाते हैं, जिनमें तटीय पुलिस भाग लेती है। इस अभ्यास और ड्रिल का उद्देश्य अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ावा देना है तथा सशक्त तटीय सुरक्षा तंत्र का निर्माण करना है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *302, दिनांक 17.12.2024

(v) तटीय पुलिस कार्मिकों को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना के प्रतिष्ठान में सीमैनशिप, नेविगेशन और नौका-संचालन जैसे जहाज-रानी के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 3,000 से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(vi) भारत सरकार ने समुद्र जनित खतरों के प्रति तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए तटीय सुरक्षा स्कीम (सीएसएस) चरण एक एवं दो कार्यान्वित किया है। इस योजना के अंतर्गत, 204 तटीय पुलिस स्टेशनों को ऑपरेशनल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 204 बोट, 37 जेट्टी, 284 चौपहिया वाहन, 554 दुपहिया वाहन, 97 जांच चौकियां, 58 सीमा चौकियां और 30 बैरक प्रदान किए गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 06 समुद्री पुलिस ऑपरेशन केंद्रों (एमपीओसी) का निर्माण किया गया है।

(vii) पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है। यद्यपि 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं, राज्यों के अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता" योजना के तहत पूरक बनाया गया है।

योजना के तहत सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, संचार, प्रशिक्षण आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत पिछले 2 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों को ₹63.35 करोड़ जारी किए गए हैं।

*****